


एकल-पीठ
डॉ० महेन्द्र लोढा, सदस्य

दिनांक:- 18/7/18

वकील प्रार्थी व प्रार्थी स्वयं को बार-बार आवाजें लगवायी गयी। बावजूद सूचना उपस्थित नहीं। पत्रावली अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(महेन्द्र लोढा)
सदस्य